Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, JAN-FEB, 2019, VOL- 6/49

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009ः एक समावेशी अधिनियम

डॉ0 लाजो पाण्डेय
एसो0 प्रोफेसर
शिक्षक शिक्षा–संकाय
आर0आर0पी0जी0 कॉलेज अमेठी।

शोध–सार

भारतीय शिक्षा प्रणाली आज कई समस्याओं से लड़ रही है, जिसमें साक्षरता दर का कम होना, शिक्षा का गुणात्मक विकास नहीं होना सब तक शिक्षा की पहुँच नहीं होना आदि प्रमुख हैं। ऐसे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क वरदान के रूप में है। यह अधिनियम मूलरूप से हर बच्चों तक शिक्षा की पहुँच न केवल सुनिश्चित करता है अपितु 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में भी प्रदान करता है। इससे सबसे अधिक प्रभाव समाज के के उन बच्चों पर पड़ेगा जो किसी भी कारणवश शिक्षा पाने से वंचित रहे गये हैं। यह अधिनियम वास्तविक रूप से शिक्षा के समावेशी प्रसस्त रहता है, क्योंकि इससे सभी एक समान शिक्षा का अवसर मिलता है। इस अधिनियम के पूर्ण रूप से लागू हो जाने के बाद ऐसी आशा की जा सकती है कि इससे न केवल शिक्षा का मात्रात्मक विकास होगा अपितु इसमें जो शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए प्रावधान दिये गये हैं उससे शिक्षा का गुणात्मक विकास भी होगा।

प्रस्तावना :–

आक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्सनरी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है शिक्षा या अनुभव के माध्यम से तथ्य सूचना और कौशल प्राप्त करना। ज्ञान किसी विषय के सैद्धान्तिक या व्यवहारिक समझ का गठन करता है। मानव समाज के वंशज, वानर व अन्य जानवरों से केवल ज्ञान और उपयोग के कारण अलग है। ज्ञान केवल शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

यह बिना कहे ही जाना जा सकता है कि समानता बनाने तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर बाधाओं तथा भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। राष्ट्र की प्रगति और विकास सभी नागरिकों की शिक्षा के अधिकार की उपलब्धता पर निर्भर करता है। क्योंकि शिक्षा ही वह सबसे बड़ा निवेश है जो सामान्य मानव को मानव संसाधन बनाने का कार्य करती है। सही अर्थों में कहें तो मानव संसाधन ही किसी देश के समस्त प्रगति का मूल आधार होता है। इसका उदाहरण हम जापान को ले सकते हैं।

वास्तव में यह कहा गया है कि ''जीवन की कीमत को इस प्रकार मापा जा सकता है कि कितनी बार आपकी आत्मा ने आपको अन्दर से झकझोरा है।'' यह शिक्षा ही है जो किसी के जीवन में हलचल मचा सकती है। शिक्षा एक व्यक्ति को अपनी क्षमता का पता लगाने में मदद करती है, जो बदले में एक मजबूत और एकजुट समाज को बढ़ावा देती है। इसका उपयोग करने से इनकार करना किसी भी व्यक्ति को एक पूर्ण इंसान बनने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। परिवार, समुदाय और राज्य को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए मानव समाज के हर स्तर पर शिक्षा का महत्व बहुत आवश्यक है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

भारत सरकार ने सन् 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून को पूरे देश में लागू किया इसके तहत 5 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे पहले सन् 1947 में ही शिक्षा सुविधा को कार्यान्वित करने के लिए संविधान द्वारा सरकार को 10 वर्ष का समय भी दिया था जिसमें देश के सभी बच्चों को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने की बात कहीं गयी थी। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक क्रान्तिकारी फैसले में तत्कालीन सरकार को जगाया, न्यायालय ने कहा कि संविधान में ''जीवन के अधिकार'' का अर्थ तो तभी है जब व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिला हो। इस फैसले के तहत सरकार को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देना आवश्यक था।

शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने सम्बन्धी कानून के लागू होने से स्वतंत्रता के छः दशक पश्चात बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ। यह कानून 01 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसे बच्चों को ''निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नाम दिया गया।

समावेशी शिक्षा के मायने और तरीके :–

आजादी के बाद से भारत में हुए शिक्षा व्यवस्था का विकास इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रीय विविधाताओं और भिन्न सीमाओं के बावजूद समावेशी शिक्षा के लिए उपकरण के रूप में कार्य किया है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य हमारी ऐसी प्रणाली से है जिसमें सभी शिक्षार्थियों को बिना भेदभाव के सीखने के समान अवसर मिले; परन्तु आज भी समावेशी शिक्षा उस मुकाम पर नहीं पहुँची जिस मुकाम पर इसे पहुँचना चाहिए।

वस्तुतः समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों के विद्यालय शिक्षा में समावेशन व उसकी प्रक्रियाओं की व्यापक समझ की इस कदर आवश्यकता है कि उन्हें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं दोनों में ही सन्दर्भित करके समझा जाय क्योंकि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्तित्व की गरिमा को प्राप्त मूल्यों के रूप में निरुपित किया गया है, जिसका इशारा समावेशी शिक्षा की तरफ ही है।

हमारा संविधान जाति वर्ग, धर्म आय एवं लैगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके प्ररिपेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक वर्गीय, लैगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न–भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक स्कूल में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके। इस दृष्टि से जब हम समावेशी शिक्षा को देखते हैं तो यह पाते हैं कि समावेशी शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता निम्न है –

1. समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीद के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।
2. समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के बच्चों के साथ कक्षा गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है।
3. समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और उनकी स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता–पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है।
4. समावेशी शिक्षा अन्य बच्चें, अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक का एक व्यापक विविधता के साथ दोस्ती का विकास करने की क्षमता विकसित करती है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

इस प्रकार कुल मिलाकर समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। यह सही मायने में 'सर्व शिक्षा' जैसे शब्दों का ही रूपान्तरित रूप है, जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है 'विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा।''

शिक्षा सम्बन्धी सभी आधुनिक चर्चाओं में दिव्यांग बच्चों के लिए हमेशा से ही एक संवेदनशीलता रही है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा आयोगों जैसे–कोठारी कमीशन ने भी इस हेतु सुझाव दिया था। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो अप्रैल 2010 से लागू है, ने दिव्यांगता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम :–

आर0टी0इ0 में बोलने और सीखने में अक्षमता आदि की परेशानियों वाले 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए भी पड़ोस के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था की गई है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के मापदण्डों को भी आर0टी0ई0 अधिनियम 2009 की व्यवस्थाओं के अनुरूप बना दिया है। सर्व शिक्षा अभियान यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को चाहे वह किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित हो, उद्देश्यपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाय। इसके अन्तर्गत किसी को भी शिक्षा देने से इंकार नहीं किया जा सकता इसका मतलब है किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए और उसकी पढ़ाई ऐसे वातावरण में होनी चाहिए; जो उसकी सीख सकने की क्षमता व आवश्यकताओं के अनुरूप हो, समावेशी शिक्षा के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है वे है–

1. बच्चों की पहचान।
2. शिक्षा सम्बन्धी औपचारिक मूल्यांकन।
3. आवश्यकता के अनुरूप उचित शिक्षा की व्यवस्था।
4. व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित शिक्षा योजना तैयार करना।
5. सहायक और अन्य उपकरणों की व्यवस्था।
6. शिक्षक प्रशिक्षण।
7. बाहरी शिक्षक की सहायता।
8. वस्तु सम्बन्धी अवरोधों को हटाना।
9. अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन।
10. दिव्यांग लड़कियों पर विशेष ध्यान।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009ः एक समावेशी अधिनियम के रूप में:–

संविधान 86वाँ संशोधन/अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अन्तः स्थापित अनुच्छेद–21, क, ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान करता है?

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आर.टी.ई.) अधिनियम–2009 में बच्चों का अधिकार जो अनुच्छेद 21क के तहत परिणामी विधान का प्रनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल, जो कतिपय अनिवार्य मापदण्डों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अनुच्छेद 21 क और आर.टी.ई. अधिनियम 01 अप्रैल 2009 के शीर्षक में ''निःशुल्क और अनिवार्य'' शब्द सम्मिलित है। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता–पिता द्वारा स्कूल में दाखिला किया गया है, को छोड़कर कोई बच्चा, जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारम्भिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसे रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 'अनिवार्य शिक्षा' उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6–14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। इससे भारत अधिकार आधारित ढाँचे के लिए उनमें बढ़ा है जो जो आर.टी.ई. अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार संशोधन के अनुच्छेद 21 क में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित प्रावधान करता है–

- किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार।
- यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश उपस्थिति और प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार की बाध्यता से है।
- यह गैर प्रवेश दिये गये बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किये जाने का प्रावधान करता है।
- यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों कर्तव्यों और दायित्वों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को विर्निष्ट करता है।
- यह अन्यों के साथ–साथ छात्र–शिक्षक अनुपात (पीटीआर) भवन और अवसरंचना, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटों से सम्बन्धित मापदण्डों और मानकों को निर्धारित करता है।
- यह राज्य या जिले अथवा ब्लाक के लिए केवल औसत के बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक विर्निष्टि अनुपात करे सुनिश्चित करके अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है। इस प्रकार यह अध्यापकों की तैनाती में शहरी ग्रामीण संतुलन को सुनिश्चित करता है।
- यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है अर्थात अपेक्षित प्रवेश और शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ अध्यापक।
- यह (क) शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न;

  (ख) बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएँ;

  (ग) प्रति व्यक्ति शुल्क;

  (घ) अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और

  (ङ) बिना मान्यता के स्कूलों को चलाया निषिद्ध करता है।
- यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और जो बच्चे के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान सम्भाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत् प्रणाली एवं बालक केन्द्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर चोट और चिन्ता से मुक्त बनाने को सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष:–

अतः कहा जा सकता है कि 2009 का शिक्षा का अधिकार कानून एक ऐसा कानून है जिसके बल पर हम समावेशी शिक्षा की तरफ बढ़ सकते हैं। यह कानून वास्तविक रूप में हर एक बालक/बालिका तक शिक्षा की पहुँच प्रदान करता है जो किसी न किसी रूप में शिक्षा नहीं पा रहें हैं। शिक्षा का अधिकार कानून व्यवस्थित रूप से न केवल साक्षरता परक विकास में सहायक होगा अपितु इससे एक समान सामाजिक विकास की भी कल्पना की जा सकती है। इस कानून को देखने के बाद हमारे मन में यह धारणा उभरती है कि यह कानून केवल साक्षरता दर में मात्रात्मक विकास लायेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब तक हम मात्रात्मक विकास को पूरा नहीं करेंगे तब हम गुणात्मक विकास की राह पर नहीं बढ़ सकते। अतः हम सभी को मिलकर यह प्रयास करना होगा कि यह कानून सफल हो।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

संदर्भ ग्रंथ

1	पाठक पी0डी0 एवं गुरु शरण दास त्यागी (2016)	: समसामाजिक भारतीय शिक्षा चिता एवं मुद्दे, आर0 लाल बुक डिपों मेरठ।
2	भारत (2017)	: प्रकाशन विभाग, भारत सरकार एवं प्रशासन मंत्रालय, नई दिल्ली।
3	मदान, पूनम (2014)	: उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
4	लक्ष्मीकांत, एम0 (2016)	: भारत की राज्य व्यवस्था, टाटा एवं मैग्राहिल प्रकाशन, नई दिल्ली।
5	लाल, रमण बिहारी (2016)	: समकालीन भारत और शिक्षाः विषय और मुद्दे, आर0 लाल बुक डिपों मेरठ।
6	योजना (मई, 2016)	: प्रकाशन विभाग, भारत सरकार एवं प्रशासन मंत्रालय, नई दिल्ली।

:

:

:

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies